राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(23)नविवि/3/2011 **जयपुर, दिनांक** 09 NOV 2021

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम–4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा–7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांकः प.10(23)नविवि/3/2011 दिनांक 04.03.2013 द्वारा अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान–2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

अधिसूचना क्रमांक प. 10(23)नविवि/3/2011 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा अलवर मास्टर प्लान–2031 का क्षितिज वर्ष 2051 तक बढाया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि अलवर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान 2051 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

उक्त मास्टर प्लान में किये गये संशोधन का अवलोकन नगर विकास न्यास, अलवर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

9/11/2021

(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अलवर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 9/11/21 में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय